



2026:AHC:26571-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 153 सन् 2026

दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था(ए.ई.डी) और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: कमल कृष्ण राय, प्रबल प्रताप, सौरभ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: ए.एस.जी.आई., रामानंद पांडे (ए.सी.एस.सी.) अब्दुल

अहमद

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरूण भंडाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के 32 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 9575 पदों के पूरे चयन को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 और 21.03.2023 के शासकीय आदेश का उल्लंघन है।

2. याचिका नवंबर, 2025 के महीने में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न विज्ञापनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की कमी पर सवाल उठाने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके आधार पर एक प्रार्थना की गई है कि सभी 9575 चयनों को रद्द कर दिया जाए।

3. हालांकि चयनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है, चयनित उम्मीदवारों में से किसी को भी याचिका के लिए पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जो आवश्यक पक्ष हैं।

4. आवश्यक पक्षों के गैर-अभियोग के लिए, वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरूण भंडाली)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"